

संख्या- 7/24/2007/ई-III(ए)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यव विभाग

संस्था-III (क) अनुभाग

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2013

कार्यालय ज्ञापन

**विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 2012-2013 के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस
(तदर्थ बोनस) प्रदान किया जाना।**

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्र सरकार के समूह "ग" तथा "घ" कर्मचारियों और समूह "ख" के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों, जो उत्पादकता से संबद्ध किसी भी बोनस स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं, को लेखा वर्ष 2012-2013 के लिए 30 दिन की परिलिंबियों के बराबर उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किए जाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की सूचना देने का निदेश हुआ है। इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस के भुगतान की गणना, 3500/- रुपए की मासिक परिलिंबियों को ऊपरी सीमा मानते हुए की जाएगी जैसे कि अब तक की गई थी। इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस का भुगतान केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों और सशस्त्र बलों के योग्य कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगा। ये आदेश संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के उन कर्मचारियों पर भी लागू माने जाएंगे, जो परिलिंबियों के संबंध में केन्द्र सरकार की पद्धति का अनुसरण करते हैं तथा जो किसी अन्य बोनस या अनुग्रह स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं।

2. यह लाभ निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा:-

- (i) केवल वे ही कर्मचारी इन आदेशों के अंतर्गत भुगतान के पात्र होंगे, जो 31.3.2013 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2012-2013 के दौरान न्यूनतम छह महीने तक लगातार सेवा की हो। वर्ष के दौरान छह महीने से लेकर पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को यथा-अनुपात भुगतान किया जाएगा, पात्रता-अवधि की गणना सेवा के महीनों (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित) के संदर्भ में की जाएगी।
- (ii) उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की मात्रा की गणना औसत परिलिंबियों/परिकलन सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी। एक दिन के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना करने के लिए एक वर्ष की औसत परिलिंबियों को 30.4 (एक महीने के औसत दिनों की संख्या) से विभाजित किया जाएगा। तत्पश्चात इसका बोनस दिए जाने वाले दिनों की संख्या से गुणा किया जाएगा। उदाहरण के लिए, परिकलन सीमा 3500/- रुपए प्रतिमाह मानते हुए (जहां वास्तविक औसत परिलिंबियां 3500/- रुपए से अधिक हैं) 30 दिनों के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) $3500 \times 30/30.4 = 3453.95/-$ रुपए (3454/- रुपए पूर्णांकित) होगा।

...2/-

(iii) ऐसे दिहाड़ी मजदूर, जिन्होंने 6 कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में पिछले तीन अथवा इससे अधिक वर्षों में हर वर्ष कम से कम 240 दिन (पांच कार्य-दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में 3 या इससे अधिक वर्षों में हर वर्ष 206 दिन) कार्य किया है, इस उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के भुगतान के पात्र होंगे। उन्हें देय उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) $1200 \text{ रुपए} \times 30/30.4$ अर्थात् 1184.21/- रुपए (1184/- रुपए पूर्णांकित) होगा। ऐसे मामलों में जहां वास्तविक परिलिखियां 1200/- रुपए प्रतिमाह से कम हैं, वहां इस राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलिखियों के आधार पर की जाएगी।

(iv) इन आदेशों के अंतर्गत सभी भुगतान रुपए के निकटतम पूर्णांक में किए जाएंगे।

(v) इस मंत्रालय के समय-समय पर यथा-संशोधित, दिनांक 4.10.1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.14(10)-ई.कॉर्ड/88 के तहत जारी किए गए स्पष्टीकरण आदेश लागू होंगे।

3. इस पर होने वाला खर्च उन संबंधित शीर्षों के नामे ढाला जाएगा जिनमें इन कर्मचारियों के बेतन एवं भत्ते नामे ढाले जाते हैं।

4. उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) पर होने वाला व्यय संबंधित मंत्रालयों/विभागों के चालू वर्ष के लिए स्वीकृत बजट प्रावधान के भीतर ही किया जाना है।

5. जहां तक, भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

अमरनाथ सिंह
(अमर नाथ सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मानक वितरण सूची आदि के अनुसार।

प्रतिलिपि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक सूची के अनुसार प्रेषित (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित)।